न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(सुखराम खोखर,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 11/2013
प्रविष्टि दिनांक 25.03.2013

पोलूराम पुत्र भूरा जाति जाट निवासी बासखेडियां तहसील देवली जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार देवली मुकाम दूनी जिला–टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार देवली मु0दूनी दिनांक 24.04.2012 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री पवन जैन, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 12.12.2019**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार देवली मु0 दूनी ने अपने आदेश दिनांक 24.04.2012 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 0.10 है0, किस्म सिवायचक,ख0नं0 400 रकबा 0.04 है0 किस्म सिवायचक,ख0नं0 409/558 रकबा 0.02 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम बांसखेडिया पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार देवली मु0 दूनी के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून वताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अपीलांट द्वारा दुर्भावना पूर्वक विवादित भूमि मे किसी प्रकार का अतिक्रमण करके फार्म पौण्ड नही बनाया बल्कि स्वंय की खातेदारी एंवम् कब्जे काश्त की भूमि मे सद्भावना पूर्वक बनाया है। अपीलांट ने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक
850

Scanned by CamScanner

राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही किया है। अपीलांट ने हाल खसरा नम्बर 399,400,401 की भूमि साबिक ख0नं0 383 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा की भूमि के भू–भाग है जो अपीलांट के पिता भूरा पुत्र धूला जाट के नाम सम्वंत 2036 से 2039 की जमाबंदी मे खातेदारी एंवम् कब्जे मे दर्ज थी जिस पर उसकी खातेदारी व कब्जा काश्त है,जिसको भू–प्रबंध विभाग सम्वंत 2046 मे भारी अनियमितताऐ करके अवैध तरीके से इन भूमियो मे से ख0नं0 399,400 को राजकीय भूमि के रूप मे राजस्व रिकार्ड मे अंकित करदी जबकि इनकी खातेदारी अपीलांट के पिता के नाम अंकित करनी चाहिए थी। अपीलांट विवादित भूमि का खातेदार एंव सद्भावी काश्तकार है,ग्रामीण व्यक्ति है,जिसको राजस्व रिकार्ड के अवैध व त्रृटिपूर्ण अंकन को आधार बनाकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर बेदखल करने एंवम् पेनेल्टी वसूल करने का आदेश दिया है, जो चलने योग्य नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से अपीलांट को वादग्रस्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की धारणा कर अपनी मनमरजी से बिना किसी पुख्ता साक्ष्य के निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी सिवायचक/चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव रांजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 0.10 है0, किस्म सिवायचक,ख0नं0 400 रकबा 0.04 है0 किस्म सिवायचक,ख0नं0 409/558 रकबा 0.02 है0 किस्म चरागाह भूमि वाके ग्राम बांसखेडिया तहसील देवली पर 45 15 वर्ग मीटर का फार्म पौण्ड बनाकर व पाल डालकर फार्म पौण्ड की मिट्टी डालकर पाल निर्माण कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया है। तहसीलदार दूनी ने पत्र क्रमांक 1280 दिनांक 07.08.2019 से रिपोर्ट प्रेषित की है कि वाके बासखेडिया के ख0नं0 401 के पास एक फार्मपौण्ड बना हुआ है जो ग्राम वासखेडिया के खसरा परिवर्तनशील रजिस्टर सम्वंत 2074 मे खसरा नम्बर 399 सिवायचक मे अतिक्रमी पोलूराम के नाम दर्ज रिकार्ड है। अतः उक्त विवेचन के मध्यनजर रखते हुए नायब तहसीलदार देवली मु0 दूनी का निर्णय दिनांक 24.04.2012 मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाकर नायब तहसीलदार देवली मु0 दूनी का निर्णय दिनांक 24.04.2012 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम खोखर)
अति.जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukh Ram Khokher
Date: 2020.01.20 13:04:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: